संख्या–211 / 12–3–2020–100(61) / 2012टी.सी.

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी, 2020**

विषयः– कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं में समस्त मानव चालित, पशु चालित, कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर डी0बी0टी0 व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–एस0एफ0 / 2756टी. / डी.बी.टी. / 2019–20, दिनांक 23.01.2020 एवं पत्र सं0–अभि0 / 2163 / कृषि यंत्रीकरण / डी.बी.टी. / 2019–20, दिनांक 06.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में समस्त मानव चालित, पशु चालित, कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर डी0बी0टी0 व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में शासनादेश सं0–648 / 12–3–19–100(61) / 2012टी.सी., दिनांक 13.06.2019 के बिन्दु सं0–ख के प्रस्तर–18 एवं 20 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में समस्त मानव चालित, पशु चालित, कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों एवं रू0 10000 तक अनुदान वाले शक्ति चालित कृषि यंत्रों / कृषि रक्षा उपकरणों पर डी0बी0टी0 व्यवस्था के सरलीकरण के संबंध में शासनादेश सं0–648 / 12–3–19–100(61) / 2012टी.सी., दिनांक 13.06.2019 के बिन्दु सं0–ख के प्रस्तर–18 एवं 20 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क0सं0	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1.बिन्दु संख्या–18	कृषक को टोकन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक खाते में जमा करनी होगी तथा जमानत धनराशि जमा करने की रसीद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यदि कृषक द्वारा एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित जमानत धनराशि जमा कर पोर्टल पर जमा रसीद अपलोड नहीं की जाती है तो उसका टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा।	कृषक को टोकन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक खाते में जमा करनी होगी। जमानत धनराशि निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा नही करने पर सम्बन्धित कृषक का टोकन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

2.बिन्दु संख्या–20	कृषकों की जमानत धनराशि जमा कराने हेतु बैंक एकाउन्ट यू0पी0 एग्रो के द्वारा खोला जायेगा, जिसे यू0पी0 एग्रो के वित्त नियन्त्रक एवं कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक(अभियंत्रण) के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा। वरीयता/चयन सूची बनाकर चयनित कृषकों को एस0एम0एस0 भेजने की तिथि/सूचित करने की तिथि से कृषि यन्त्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु 01 माह का समय दिया जायेगा। इस अवधि को कृषि निदेशक द्वारा किसान के अनुरोध एवं उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर संतुष्ट होने के उपरान्त एक सप्ताह और बढाया जा सकता है। इस निर्धारित अवधि में यदि वह अभिलेख अपलोड नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। जमानत धनराशि जब्त होने की दशा में धनराशि यू0पी0 एग्रो की धरोहर हो जायेगी तथा जमा धनराशि पर अर्जित होने वाला ब्याज भी यू0पी0 एग्रो इस्तेमाल करेगा।	कृषकों की जमानत धनराशि जमा कराने हेतु बैंक एकाउन्ट यू0पी0 एग्रो के द्वारा खोला जायेगा, जिसे यू0पी0 एग्रो के वित्त नियन्त्रक एवं कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) के संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में वरीयता/चयन सूची बनाकर चयनित कृषकों को एस0एम0एस0 भेजने की तिथि/सूचित करने की तिथि से कृषि यन्त्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद एवं संबंधित अभिलेख अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि 15 मार्च 2020(टोकन जमा करने हेतु 10 दिन भी इसमें सम्मिलित है) होगी। इस निर्धारित अवधि में यदि वह अभिलेख अपलोड नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। जमानत धनराशि जब्त होने की दशा में धनराशि यू0पी0 एग्रो की धरोहर हो जायेगी तथा जमा धनराशि पर अर्जित होने वाला ब्याज भी यू0पी0 एग्रो इस्तेमाल करेगा।

3– शासनादेश सं0–648/12–3–19–100(61)/2012टी.सी., दिनांक 13.06.2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश दिनांक 13.06.2019 शेष शर्ते/प्राविधान यथावत् रहेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव

संं0—211(1)/12—3—2020—तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3— प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4— प्रमुख सचिव, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन। ।
5— प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6— प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7— प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9— प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10— प्रमुख सचिव, दुग्ध विभाग, उ0प्र0 शासन।
11— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
12— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
13— समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14— निजी सचिव, मा0 कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
15— ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
16— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
17— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
18— महानिदेशक, उपकार, उ0प्र0 लखनऊ।
19— प्रबंध निदेशक, यू0पी0 एग्रो, उ0प्र0 लखनऊ।
20— प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
21— प्रबंध निदेशक, बीज विकास निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
22— प्रबंध निदेशक, यू.पी. स्टेट एग्रो।
23— निदेशक, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
24— निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
25— वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
26— सहायक निदेशक (समन्वय एवं कम्प्यूटर), कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई—मेल से तत्काल प्रेषित करते हुए इसे कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाय तथा 02 दिन के पश्चात इस सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग कर आवश्यक निर्देश दिये जायें।
27 समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
28— समस्त अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन, लखनऊ।
29— समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0।
30— समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
31— समस्त उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ0प्र0।
32— समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ0प्र0।
33— समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ0प्र0।
34— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Res

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

12.2.2020

सहायक निदेशक
(समन्वय एंव कम्प्यूटर